925

[2018] 10 एस सी आर 925 ए

/

हरियाणा राज्य बनाम.

राजेश अग्रवाल और एएनआर। (2011 की आपराधिक अपील संख्या 2218) 20 अगस्त, 2018

/

[अभय मनोहर सप्रे और संजय किशन कौल**,** जे**.** जे।**]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:s.482-एफ. आई. आर. को रद्द करना-अभियोजन का मामला यह था कि एक कारखाने अंतर्गत विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप सात लोगों की मौत हो गई और कारखानों के मामलों और संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई।302 भारतीय दंड संहिता सी.-प्रत्यर्थियों ने एफ. आई. आर. को रद्द करने की मांग की-उच्च न्यायालय ने याचिका को आंशिक रूप से अनुज्ञात कर लिया और आरोप को एस. में बदल दिया।304 एक भारतीय दंड संहिता सी.-राज्य की अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:अपराध के आरोप को एस से बदलने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा तर्क और निष्कर्ष पर पहुंचा गया।302 से एस।304-इस स्तर पर भारतीय दंड संहिता सी. को दोष नहीं दिया जा सकता है-सत्र न्यायाधीश को एक वर्ष के भीतर मुकदमा पूरा करने का निर्देश दिया जाता है-दंड संहिता, 1860 -s.304A।

/

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने**,**

अभिनिर्धारित किया **:**मामले में मुकदमा शुरू होना चाहिए और यह तय करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश के संदर्भ में समाप्त होना चाहिए कि क्या प्रतिवादियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **304-**ए के अंतर्गत कोई मामला बनाया गया है या नहीं और यदि ऐसा है**,** तो ऐसे अपराध के लिए उन पर क्या सजा दी जा सकती है**,** और यदि नहीं**,** तो क्यों। इस मुकदमे के लंबित रहने और संचालन पर रोक के कारण**,** मामले में सुनवाई इन सभी वर्षों तक रुकी रही।सत्र न्यायाधीश**,** जो प्रश्न प्रतिवादियों के मामले की सुनवाई कर रहे हैं**,** को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की तारीख से एक साल के भीतर मुकदमे को विधि के अनुसार सख्ती से पूरा किया जाए।अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर**,** सत्र न्यायाधीश के पास दंड प्रक्रिया संहिता धारा **216** के अंतर्गत शक्तियों का

सहारा लेकर किसी भी आरोप को बदलने/संशोधित करने/जोड़ने की पर्याप्त शक्ति है**,** भले ही उच्च न्यायालय ने इस स्तर पर आरोप में बदलाव किया हो।**[**पारस **13-16] [927-E-G; 928-A-B]**

/

/

/

925

926

/

[2018] 10 एस सी आर।

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2011 की आपराधिक अपील संख्या 2218

2001 के आपराधिक संशोधन संख्या 413 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.11.2006 के निर्णय और आदेश से।

/

डॉ. मोनिका गुसैन, सुश्री मनप्रीत कौर भल्ला, नीरज झा, विनोद शर्मा, गोपाल सिंह, शिवम सिंह, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1.यह याचिका दायर की गई है

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2001 के आपराधिक संशोधन में चंडीगढ़ में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ हरियाणा राज्य, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर याचिका को आंशिक विरचित से अनुज्ञात और भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "भारतीय दंड संहिता सी". के विरचित में संदर्भित) की धारा 304-ए भारतीय दंड संहिता सी. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उनके खिलाफ बनाए गए आरोप को बदल दिया।

/

/

2. अपील के निपटारे के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिसमें एक संक्षिप्त बिंदु शामिल है।

3. गुड़गांव (हरियाणा) में "मेसर्स की फार्मा प्राइवेट लिमिटेड" नामक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।यह कंपनी गुड़गांव में अपने कारखाने में रासायनिक दवाओं के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है।4. उत्तरदाताओं को कंपनी के शेयरधारक/निदेशक कहा जाता है और वे कंपनी और उसके कारखाने के दिन-प्रतिदिन के मामलों और कामकाज के लिए जिम्मेदार होते हैं।

/

5. 27.06.1996 को फैक्ट्री परिसर में विस्फोट हुआ और जिसके परिणामस्वरूप पूरे कारखाने में धुआं फैल गया।जिस समय विस्फोट हुआ, उस समय कारखाने में 45 मजदूर मौजूद थे।वे अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागते रहे।इसके परिणामस्वरूप फैक्ट्री क्षेत्र में भगदड़ मच गई, जिसमें सात श्रमिकों की मौत हो गई।

/

6. इसके कारण कुछ श्रमिकों के कहने पर गुड़गांव के पीएस सदर में उत्तरदाताओं के खिलाफ 1996 की प्राथमिकी दर्ज की गई।यह कंपनी और उसके कारखाने के मामलों और संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में प्रतिवादियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया था।

/

/

927

हरियाणा राज्य बनाम राजेश अग्रवाल और ए. एन. आर. [अभय मनोहर सप्रे, जे।] ए.

/

7. प्रतिवादियों ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. की वैधता पर सवाल उठाते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "आई. डी. 1". के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के अंतर्गत एक याचिका दायर की और इसे रद्द करने की मांग की।

8. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने याचिका को आंशिक विरचित से अनुज्ञात कर लिया और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ बनाए गए आरोप को बदल दिया।

/

9. राज्य ने इस आक्षेपित आदेश से व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की।

/

10. अपीलार्थी-राज्य की विद्वान वकील डॉ. मोनिका गुसैन और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री गोपाल सिंह को सुना।

11. इस अपील में विचार के लिए जो छोटा प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय याचिका को आंशिक विरचित से स्वीकार करने में उचित था और इस तरह भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ बनाए गए आरोप को बदलने में उचित था।

/

12. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

13. शुरुआत में, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि मामले में मुकदमा शुरू होना चाहिए और यह तय करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश के संदर्भ में समाप्त होना चाहिए कि क्या प्रतिवादियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304-ए के अंतर्गत कोई मामला बनाया गया है या नहीं और यदि ऐसा है, तो ऐसे अपराध के लिए उन पर क्या सजा दी जा सकती है, और यदि नहीं, तो क्यों।हमारी राय में, इस स्तर पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304-ए में अपराध के आरोप को बदलने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।14. यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मुकदमे के लंबित रहने और संचालन पर रोक के कारण, मामले में सुनवाई इन सभी वर्षों तक रुकी रही। इससे स्पष्ट रूप से उत्तरदाताओं को लाभ हुआ, जिन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा आरोप में बदलाव पर सवाल नहीं उठाने के बावजूद, बदले गए आरोप के लिए भी मुकदमे का सामना नहीं किया।

/

/

/

15. सात श्रमिकों की जान लेने वाली उक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर तथ्यात्मक विवाद पर कोई राय व्यक्त किए बिना अब हम सत्र न्यायाधीश के समक्ष मुकदमे का विषय हैं।

/

सत्र न्यायाधीश, जो प्रश्न प्रत्यर्थियों के मामले के मुकदमे से अभिभूत हैं, को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि मुकदमा इस आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार सख्ती से पूरा किया जाए।16. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, सत्र न्यायाधीश के पास दंड प्रक्रिया संहिता धारा 216 के अंतर्गत शक्तियों का सहारा लेकर किसी भी आरोप को बदलने/संशोधित करने/जोड़ने की पर्याप्त शक्ति है, भले ही उच्च न्यायालय ने इस स्तर पर आरोप में बदलाव किया हो।17. इन टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।अंतरिम रोक देने वाले आदेश को वापस लिया जाता है।18. रजिस्ट्री को इस आदेश में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की एक प्रति तुरंत संबंधित सत्र न्यायाधीश/पुलिस स्टेशन को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

/

/

देविका गुजराल की अपील खारिज कर दी गई।

/

/

/

/

/